न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 44/2015 तारीख रजू :– 14.12.2015

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

1. आकाश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति महाजन निवासी मोहन नगर
2. अशोक कुमार पुत्र श्री देवीलाल हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. गौरीशंकर पुत्र श्री देवीलाल ———————— प्रार्थीगण

बनाम

कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन सिटी जरिये सचिव कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन सिटी (कैलाश नगर) तहसील हिण्डौन जिला करौली———— अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् चौडा करवाये जाने रास्ता कृषि भूमि में स्थगन

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट प्रार्थी गण

2. श्री महेश कुमार सिंघल एडवोकेट अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 16.03.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर.टी.एक्ट 1955 के तहत खिलाफ अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात खाता सं02 खसरा नम्बर 143 रकबा 0.98 है0 स्थित ग्राम कैलाश नगर तहसील हिण्डौन जिला करौली स्थित है। जिसमें आने जाने के लिए उक्त कृषि भूमि के उत्तर में रास्ता मौजूद है, जिसके जरिये प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि से गैरमुमकिन सडक खसरा नम्बर 17 कैलाश नगर से हिण्डौन पर होकर हमेशा से आते जाते रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में ... किया है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 143 के उत्तर में अप्रार्थी कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन सिटी स्थित ग्राम कैलाश नगर की खातेदारी व मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 144 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.05 है0 स्थित ग्राम कैलाश

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.19 18:20:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

नगर है, जो कि मौके पर आज दिन तक खाली पडी हुई है। उक्त आराजी भूमि को प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि अप्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की उक्त भूमि खसरा नम्बर 144 व 145 के उत्तर में भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 2.5 है0 स्थित ग्राम कैलाश नगर स्थित है, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आज से कई वर्ष पूर्व डामर सडक का निर्माण करवा दिया है, मुताविक प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग अप्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की उक्त भूमि अब सडक सीमा में है, जिसे प्रार्थीगण काफी अर्से पूर्व से रास्ते के उपयोग करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि अप्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की ग्राम कैलाश नगर में करीब 16.26 है0 कृषि भूमि स्थित है, जिसमें से नं0मु0सडक खसरा नम्बर 17 के दक्षिण में केवल खसरा नम्बर 144 व 145 की ही भूमि है जो कि कहीं सकडी, चौडाई में कम व अनुपयोगी है और उक्त भूमि केवल और केवल रास्ते के ही उपयोग में काम में ली जा सकती है, फिर भी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 144 व 145 में मौजूदा रास्ता की चौडाई को कम करते हुए अनाधिकृत रूप से बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि के एक मात्र रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की उक्त भूमि में होकर मुताविक प्रावधान धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 रास्ते की चौडाई 30 फिट तक भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के लिए विधिवत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है, जिसके निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है और तब तक अप्रार्थी को मौजूदा रास्ते खसरा नम्बर 144 व 145 में अविधित रूप से करवाये जा रहे बाउण्ड्रवाल निर्माण कार्य को रूकवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 144 व 145 में करवाये जा रहे बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य को दौराने विचारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जरिये स्थगन आदेश रोके जाने एवं रास्ता दिये जाने के माकूल आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 जिस प्रकार वर्णित किया है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 150 के खातेदार होना स्वीकार है। शेष इबारत से इंकारी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 143

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.19 18:20:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

एडवोईनिंग स्वामित्व व कब्जे की आबादी की भूमि खसरा नम्बर 144,145 स्थित होना स्वीकार है, जो कृषि उपज मण्डी के वाहन पार्किंग के उपयोग उपभोग की भूमि है। खाली पडी होना स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 144,145 की भूमि प्रार्थीगण के आागमन के लिए उपयोग उपभोग की कृषि भूमि नहीं रही।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार वर्णित किया है, स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 144,145 के सहारे गैरमुमकिन सडक बनी होना स्वीकार है। प्रार्थीगण के स्वामित्व, कब्जे की भूमि सडक सीमा में होना स्वीकार नहीं है। जिसे प्रार्थीगण ने बतौर रास्ता कभी भी इस्तेमाल नहीं किया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है। स्वीकार नहीं है। विपक्षी के स्वामित्व की भूमि कृषि भूमि नहीं। खसरा नम्बर 144,145 की भूमि विपक्षी के स्वामित्व व कब्जे की भूमि है। प्रार्थीगण ने विपक्षी के स्वामित्व की भूमि का रास्ते के रूप में कभी उपयोग उपभोग नहीं किया ना ही रास्ते की भूमि है। खसरा नम्बर 144,145 में प्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं रहा है। बाउण्ड्रीबाल विपक्षी को कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन के वाहन पार्किंग के लिए बनाना, उपयोगी आवश्यक है। प्रार्थीगण का एक मात्र कोई रास्ता कभी नहीं रहा। प्रार्थीगण ने धारा 251 ए के प्रावधान पढने में कानूनी भूल की है। 30 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बाउण्ड्रीबाल का कार्य करीब 1 वर्ष पूरा होने को है। कुछ ही शेष है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 144, 145 की बाउण्ड्रीबाल रूकवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

उज्रात मजीद :– में दर्ज किया है कि खसरा नम्बरा 144,145 राजस्व रिकार्ड के अनुसार गै0मु0 आबादी की भूमि है। कृषि भूमि नहीं। अतः जिसमें कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन का निर्माण हुआ, सडक के बाद शेष भूमि आबादी गैर मुमकिन मण्डी है। अतः कृषि भूमि नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

रेवन्यू रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 143 एवं 146 मिली हुई भूमि जिसका उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग गैरमुमकिन सडक से मिला हुआ है। जिसमें दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 143 के भाग में 2 पुख्ता दुकान प्रार्थीगण की मौके पर बनी हुई है तथा उसके आगे दक्षिण की शेष भूमि भी सडक से एडजोईनिंग भूमि है जो रास्ते के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा उत्तरी हिस्से की भूमि भी सडक से एडजोईनिंग है। सडक से उत्तरी सिरे एवं दक्षिणी सिरे की भूमि सडक से एडजोईनिंग होने के कारण पर्याप्त लम्बाई चौडाई का रास्ता उपलब्ध है। भू राजस्व सेट में ... है। प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण की ... की है। प्रार्थीगण विपक्षी की आबादी की भूमि में जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.19 18:20:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण बेईमान व्यक्ति है। न्यायालय को धोखा देकर रिकार्ड एवं मौके की स्थिति को छुपाकर स्टे प्राप्त किया है तथा क्षेत्राधिकार के बाहर का है। विपक्षी की आबादी भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त किया। जिससे विपक्षी को कार्य रोके जाने के कारण दस हजार रूपये की क्षति हुई है।

अतः जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मय दस हजार रूपये की कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72 किता–3, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, फोटो प्रति रजिस्टर्ड पट्टा विलेख दिनांक 31.03.1999, फोटो प्रति किरायानामा पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72 के अनुसार खसरा नम्बर 143 रकबा 0.98 है0 ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन की खातेदारी अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार नावालिग व विलायत पिता अशोक कुमार हिस्सा 1/2, अशोक कुमार गौरीशंकर पि0 देवीलाल हि01/2 जाति अग्रवाल निवासी हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 163 निर्णय दिनांक 11.06.2015 – बालिग न्यायालय आदेश से अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार नावालिग व विलायत पिता अशोक कुमार हि01/2 के बजाय आकाश अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार हि01/2 जाति महाजन के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 मण्डी, 145 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 मण्डी ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन की खातेदारी कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069 –72 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 0.81 है0 ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामबाबू पुत्र फौदीलाल हि01/4 ऊषादेवी पत्नि रामबाबू हिस्सा 1/4, जाति ब्राहम्ण, अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद हि[illegible]गौरीशंकर पुत्र देवीलाल हि01/8 जाति महाजन निवा[illegible]शिवचरनदयाल जाति ब्राहम्ण हि01/4 नि0 नयकस[illegible] देवी हिण्डौन के [illegible] खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069 [illegible] के अनुसार हाल खसरा नम्बर 17 रकबा 2.50 है0 किस्म गै0मु0 सडक ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.19 18:20:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खातेदारी गजेन्द्रसिंह यदुराजसिंह उमेश कुमार जितेन्द्र कुमार पिता रामावतार जाति जाट हि03/4 सा0देह व परमानन्द पुत्र कल्याण प्रसाद महाजन हि01/4 सा0 मण्डावरा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक एलआर/2016/1639 दिनांक 03.02.2016 के अनुसार खसरा नम्बर 146 रकबा 0.81 है0 ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामबाबू पुत्र फौंदीलाल हि01/4,ऊषादेवी पत्नि रामबाबू हिस्सा 1/4, जाति ब्राहम्ण, अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/8, गौरीशंकर पुत्र देवीलाल हि01/8 जाति महाजन निवासी हिण्डौन, बृजगोपाल पुत्र शिम्भरदयाल जाति ब्राहम्ण हि01/4 नि0 नक्कस की देवी हिण्डौन के नाम है तथा खसरा नम्बर 143 रकबा 0.98 है0 ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन की खातेदारी अजय कुमार पुत्र आकाश अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार , अशोक कुमार गौरीशंकर पि0 देवीलाल जाति अग्रवाल निवासी हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त दोनो खसरा नम्बर धवान धौलेटा सडक से सटे हुए हैं। उक्त दोनों नम्बरों के लिए रास्ता मौजूद है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 144 व 145 किस्म गै0मु0 मण्डी ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन की खातेदारी कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें होकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के लिए कोई रास्ता नहीं जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का खसरा नम्बर 146 सडक के लगता है तथा खसरा नम्बर 143 खसरा नम्बर 146 से सटा हुआ है। तहसीलदार हिण्डौन की मौका रिपोर्ट के आधार पर भी प्राथीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 143 व 146 के लिए रास्ता खसरा नम्बर 144,145 में होकर नहीं है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी. एक्ट 1955 विरूद्ध अप्रार्थी बाबत में आने जाने के लिए 30 फिट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 143 रकबा 0.98 है0, 146 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 144 रकबा 0.02 है0किस्म गै0मु0 मण्डी, 145 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0मण्डी वाके ग्राम कैलाशनगर तहसील हिण्डौन में से दिये जाने का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.19 18:20:55 IST
Reason: SelfAttested

16.03.2021
सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner